भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1219

जिसका उत्तर सोमवार, 8 दिसम्बर, 2025/17 अग्रहायण, 1947 (शक) को दिया गया

मध्य प्रदेश में बैंकों की शाखाएं

1219. श्रीमती अनिता नागरसिंह चौहान:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को मध्य प्रदेश के रायपुरिया और मदरानी (झाबुआ जिला) और ककराना (अलीराजपुर जिला) के जनजातीय बहुल क्षेत्रों में बैंक शाखाओं की तत्काल आवश्यकता की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं स्थापित करने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है अथवा कोई प्रस्ताव तैयार किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार द्वारा इन क्षेत्रों की भौगालिक दुर्गमता, बढ़ती जनसंख्या और विभिन्न सरकारी योजनाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इन क्षेत्रों में नई बैंक शाखाएं स्थापित करने पर विचार किए जाने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा उक्त क्षेत्रों में बैंक शाखाएं स्थापित करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (घ): भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार, कवर न किए गए क्षेत्रों में बैंकिंग आउटलेटों को आरंभ करना एक सतत् प्रक्रिया है जिसका संचालन राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी/ यूटीएलबीसी) द्वारा संबंधित राज्य सरकारों, सदस्य बैंकों और अन्य स्टेकहोल्डरों के परामर्श से किया जाता है। बैंक, अन्य बातों के साथ-साथ, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेशों, अपनी व्यावसायिक योजनाओं और उनकी वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आलोक में बैंकिंग आउटलेट खोलने के प्रस्तावों पर विचार करते हैं। बैंकिंग आउटलेट खोलने की व्यवहार्यता का और अधिक आकलन करने के लिए, बैंक आवश्यकतानुसार सर्वेक्षण करते हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा 'शाखा प्राधिकार नीति के युक्तिकरण' के संबंध में 18 मई, 2017 के परिपत्र के माध्यम से जारी संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार 'शाखा' शब्द को 'बैंकिंग आउटलेट (बीओ)' से प्रतिस्थापित किया गया है। इसमें स्थायी शाखा और व्यवसाय प्रतिनिधि (बीसी) आउटलेट्स दोनों शामिल हैं, ताकि बैंक ग्राहकों को निर्विघ्न सेवा उपलब्ध कराने के लिए दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में भी कम लागत पर अपने नेटवर्क का विस्तार कर सकें।

आरबीआई ने घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को आरबीआई की पूर्व अनुमति लिए बिना देश में किसी भी स्थान पर शाखा सहित बैंकिंग आउटलेट्स खोलने की सामान्य अनुमति प्रदान की है बशर्ते कि वित्तीय वर्ष के दौरान खोले गए बैंकिंग आउटलेट्स की कुल संख्या का कम से कम 25 प्रतिशत बैंकरहित ग्रामीण केन्द्रों अर्थात ऐसे केन्द्रों जिसकी आबादी 10,000 से कम हो (टियर-5 और टियर-6 केन्द्रों) में स्थित हों।

इसके अतिरिक्त, सरकार का प्रयास देश में सभी बसावट वाले गांवों के 5 किलोमीटर के दायरे के भीतर बैंकिंग आउटलेट (बैंक शाखा/व्यवसाय प्रतिनिधि/इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक) की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। बैंकिंग आउटलेट्स की उपलब्धता की निगरानी, भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) आधारित ऐप अर्थात जन धन दर्शक (जेडीडी) द्वारा की जाती है।जन धन दर्शक (जेडीडी) ऐप पर बैंकों द्वारा अपलोड किए गए आंकड़ों के आधार पर, दिनांक 31.10.2025 तक की स्थिति के अनुसार, देश के 99.91% गांव 5 किमी के दायरे में बैंकिंग आउटलेट (बैंक शाखा/बीसी/आईपीपीबी) से कवर किए गए हैं।

जेडीडी ऐप के अनुसार, मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में रायपुरिया और मदरानी तथा अलीराजपुर जिले के ककराना गांव को 5 किमी के दायरे में बैंकिंग आउटलेट द्वारा कवर किया गया है।

दिनांक 30.11.2025 तक की स्थिति के अनुसार, मध्य प्रदेश के झाबुआ और अलीराजपुर जिले में बैंकिंग अवसंरचना का विवरण निम्नानुसार है:

राज्य	जिला	शाखाएँ	बीसी	एटीएम	आईपीपीबी
मध्य प्रदेश	झाबुआ	91	2963	52	116
मध्य प्रदेश	अलीराजपुर	52	1610	31	101

स्रोत: जेडीडी ऐप

*****